न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 22/2019 नामान्तरकरण अपील

1. योगेश कुमार पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी वार्ड नं. 24, मालीपुरा, जागीर बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील बसवा जिला दौसा।
2. महेश कुमार
3. सुरेश कुमार
4. अनीष कुमार
   पुत्रान रामसहाय
5. छोटी देवी पत्नि रामसहाय
6. रामगोपाल
7. भगवान सहाय
8. मनोहरलाल
   पुत्रान आनन्दीलाल
9. कस्तुरी पुत्री आनन्दीलाल
   समस्त जाति माली निवासी वार्ड नं. 24, मालीपुरा, जागीर बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार बसवा जिला दौसा नामान्तरकरण संख्या 286 निर्णय दिनांक 22.12.2010

उपस्थिति :-: श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री सत्यनारायण शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगा. 8 उपस्थित।

-: निर्णय :- दिनांकः 26.07.2024

संक्षिप्त में अपील के वृतान्त इस प्रकार से है कि ग्राम जागीर बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित भूमि जमाबन्दी खाता संख्या नया 257, पुराना 217 के खसरा नं. 620 रकबा 0.05 है., खसरा नं. 658 रकबा 0.06 है. खसरा नं. 659 रकबा 0.68 है., खसरा नं. 660 रकबा 0.16 है., खसरा नं. 661 रकबा 0.06 है. खसरा नं. 662 रकबा 0.11 है., खसरा नं. 663 रकबा 0.26 है., खसरा नं. 664 रकबा 0.07 है., खसरा नं. 665 रकबा 0.06 है. खसरा नं. 666 रकबा 0.05 है. खसरा नं. 667 रकबा 0.20 है. खसरा नं. 668 रकबा 0.18 है. खसरा नं. 1835/669 रकबा 0.16 है. कुल किता 13 कुल रकबा 2.10 है. में अपीलान्ट के दादा आनन्दीलाल का हिस्सा 1/2 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड था। अपीलान्ट के दादा आनन्दीलाल की मृत्यु दिनांक 15.05.2003 को हो गई थी तथा अपीलान्ट के पिता रामसहाय की मृत्यु दिनांक 10.05.2009 को हो गई थी। अपीलान्ट के पिता व दादा की मृत्यु के बाद अपीलान्ट की पैतृक भूमि का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 286 दिनांक 22.12.2010 को तहसीलदार बसवा द्वारा बिना किसी गांव के वार्ड पंच या मौत बरी [illegible] आदि [illegible] से बिना पूछताछ के ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 9 के हक में अवैध तरीके से पारित [illegible]। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 286 दिनांक 22.12.2010 के विरूद्ध यह अपील अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित मूल अभिलेख तलब किया गया। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 12:55:24 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के दादा आनन्दीलाल के चार पुत्र क्रमशः मृतक रामसहाय, रामगोपाल, भगवान सहाय, मनोहरलाल व एक पुत्री कस्तुरी थी। अपीलान्ट के दादा आनन्दीलाल की मृत्यु दिनांक 15.05.2003 को हो गई है तथा अपीलान्ट के पिता रामसहाय की मृत्यु दिनांक 10.05.2009 को हो चुकी है। अपीलान्ट अपने पिता रामसहाय व दादा आनन्दीलाल के फरीकेन जायज व काबिज वारिस है और अपने हिस्से पर मुताबिक हिस्सा काबिज चले आ रहे है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 4 आपस में सगे भाई है व रेस्पोडेन्ट सं. 5 छोटी देवी पत्नि रामसहाय अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 4 की माता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बसवा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 286 दिनांक 22.12.2010 में अपीलान्ट को अपने हक से महरूम करते हुये बिना किसी जांच पडताल के बिना किसी वारिस प्रमाण पत्र के अविधिक तौर पर अपीलान्ट के पिता रामसहाय की हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 5 के हक में कर दिया। मौके पर अपीलान्ट अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। यदि अपीलान्ट का नामान्तरकरण उक्त भूमि पर दर्ज नही किया गया तो अपीलान्ट को अपने हिस्से की भूमि से महरूम होना पडेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 286 दिनांक 22.12.2010 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का नाम हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 8 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्ट योगेश कुमार का नाम नामान्तरकरण संख्या 286 दिनांक 22.12.2010 में हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावे, इसमें रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 लगायत 8 को कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध मृतक रामसहाय पुत्र आनन्दीलाल के वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार अपीलान्ट मृतक रामसहाय का पुत्र होना तथा विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक करते समय अपीलान्ट का नाम दर्ज नहीं होना प्रतीत होता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट का नाम उक्त नामान्तरकरण में दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 286 दिनांक 22.12.2010 ग्राम जागीर बांदीकुई तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बांदीकुई को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर एवं मृतक रामसहाय पुत्र आनन्दीलाल के विधिक वारिसान के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.09.06 12:55:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा